

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2019/ 52266-466 दिनांक: 3/4/21
आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ,
समस्त राजस्थान।

विषय: महावीर जयन्ती महापर्व पर बूचडखाने/मांस बिक्री की दुकाने बन्द रखने
के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महावीर जयन्ती महापर्व को दृष्टिगत रखते
हुए दिनांक 25 अप्रैल, 2021 को राज्य के सभी बूचडखाने/मांस बिक्री की दुकाने बन्द
रखवाया जाना सुनिश्चित करें।


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2019/ 52267-412 दिनांक: 3/4/21
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
05. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
06. जनसम्पर्क अधिकार, निदेशालय को प्रकाशनार्थ करवाने हेतु प्रेषित है।
07. प्रभारी अधिकारी, मोनिटरिंग सैल को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी